UPBS120005442018

IN THE COURT OF
CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI) AT ,Basti
Presided Over by SIDDHARTH BARGOTI

मूलवाद सं० 374/2018
इसरावती बनाम अनारा देवी

04.12.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 57 ग 2 पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 57 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थिनी के मुकदमे में दि० 13–09–2018 को न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थिनी के तरफ से टी०आई० दरख्वास्त दि० 11–07–2022 को दिया गया जो स्वीकृत होने का आदेश पारित हुआ है। पुनः 14–09–2022, 29–11–2022, 21–01–2023 को दिया गया टी०आई० प्रार्थना पत्र के.ओ.एफ. लिख दिया गया जो भूल से लिखा गया है। ऐसी दशा में 14–09–2022, 29–11–2022, 21–01–2023 व 27–03–2023 को दिये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश बढ़ाये जाने की याचना की गई है।

प्रतिवादी की तरफ से आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 13–09–2018 को विवादित भूमि आराजी सं० 58 मिन रकबा 0.0760 हे० के बाबत यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। वादी के कथनानुसार उक्त निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14–09–2022, 29–11–2022, 21–01–2023 पर भूलवश के.ओ.एफ. लिख दिया गया। इस सम्बन्ध में कार्यालय से आख्या आहूत की गयी, जिसमें वादलिपिक ने कथन किया है कि "न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दि० 13–09–2018 के अुपालन में दिनांक 14–09–2022 को वादी द्वारा टी०आई० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु उक्त टी०आई० प्रार्थना पत्र सूचिबद्ध नहीं है और न उपरोक्त टी०आई० प्रर्थना पत्र का उल्लेख पेशकार महोदय द्वारा आदेश पत्र में किया गया है जबकि उक्त तिथि की टी०आई० प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है तथा दि० 14–09–2022 के बाद प्रत्येक नियत तिथि पर वादी द्वारा टी०आई० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।" पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा दिनांक 14–09–2022 को टी०आई० प्रार्थनापत्र दिया गया है, जो पत्रावली में संलग्न है, परन्तु भूलवश स्वीकृत होने से छूट गया है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 14–09–2022 व उसके बाद की तिथियों पर दिया गया टी०आई० प्रार्थना पत्र को आज से अग्रिम नियत तिथि तक विस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र 57 ग 2 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 57 ग 2 स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांकित 13–09–2018 आज से अग्रिम नियत तिथि तक विस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 19–12–2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान बस्ती।